मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 11 –03–2022

क्रमांक/496/3760/2019/सत्रह/मेडि–1 :: डॉ सुभाष जैन, चिकित्सा अधिकारी की तत्समय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुखतवा, जिला होशंगाबाद (वर्तमान में जिला–हरदा) में पदस्थापना के दौरान उनके द्वारा शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना किये जाने के कारण उनके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के जांच प्रतिवेदन के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के दण्डादेश क्रमांक 5818–19/वि.जांच/2019, दिनांक 18.11.2019 द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम–10(4) के अंतर्गत डॉ. जैन के विरुद्ध उनकी आगामी दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की लघुशास्ति अधिरोपित की गई थी।

2/– आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के उपर्युक्त दण्डादेश दिनांक 18.11.2019 के विरुद्ध डॉ सुभाष जैन, चिकित्सा अधिकारी, जिला–हरदा द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम–23 के अंतर्गत दिनांक 06.12.2019 को अपीलीय अभ्यावेदन राज्य शासन को प्रस्तुत कर उक्त दण्डादेश को निरस्त करने का निवेदन किया गया। इस परिप्रेक्ष्य में उक्त अपीलीय अभ्यावेदन के निराकरण हेतु शासन द्वारा डॉ सुभाष जैन को दिनांक 08.03.2021 को समक्ष में सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। डॉ. जैन द्वारा नियत तिथि को समक्ष में उपस्थिति के दौरान प्रकरण से संबंधित उनके बचाव हेतु कोई नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण के परीक्षण एवं गुण–दोषों पर पूर्ण विचारोपरान्त विभाग के आदेश क्रमांक/1519–1520/3760/2019/सत्रह/मेडि–1, दिनांक 06.09.2021 द्वारा डॉ. जैन का उपर्युक्त अपीलीय अभ्यावेदन दिनांक 06.12.2019 अमान्य किया गया है।

3/– राज्य शासन के उपर्युक्त आदेश दिनांक 06.09.2021 के संबंध में नवीन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पुनर्विचार हेतु डॉ सुभाष जैन, चिकित्सा अधिकारी, जिला–हरदा द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम–29 के अंतर्गत दिनांक 01.10.2021 को पुनर्विलोकन अपीलीय अभ्यावेदन महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। डॉ. जैन का उपरोक्त पुनर्विलोकन अपीलीय अभ्यावेदन राजभवन सचिवालय द्वारा दिनांक 21.10.2021 को विभाग को प्रेषित किया गया, जो विभाग में दिनांक 06.12.2021 को प्राप्त हुआ। डॉ. जैन ने अपने उपरोक्त पुनर्विलोकन अपीलीय अभ्यावेदन में यह नवीन तथ्य दर्शाये है कि कल्लू यादव की नसबन्दी के संबंध में, विभागीय जांच वर्ष 2012 में ही तत्कालीन एस.डी.एम. के निर्देशन में, अधीक्षक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी अस्पताल, इटारसी द्वारा की गई थी, जिसमें वह निर्दोष पाये गये थे, फलस्वरुप उक्त प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया था। इस संबंध में उनके द्वारा अधीक्षक की जांच रिपोर्ट भी संलग्न की गई है। कल्लू यादव की मौत टीबी की बीमारी से वर्ष 2018 में हो चुकी है, इसके प्रमाण स्वरुप डॉ. जैन द्वारा कोटवार की रिपोर्ट संलग्न की गई है। ड्रग इंस्पेक्टर, होशंगाबाद का पत्र, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि डॉ. सुभाष जैन द्वारा मेडिकल स्टोर चलाये जाने संबंधी कोई दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, भी संलग्न किया गया है।

4/– उपरोक्त पुनर्विलोकन अपीलीय अभ्यावेदन के निराकरण हेतु अपीलार्थी डॉ. सुभाष जैन को पुनः समक्ष में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उन्हें दिनांक 07.01.2022 को समक्ष में सुना

....2...

गया। उनके द्वारा बताया गया कि उन पर लगाये गये आरोप कमांक--01 में अविवाहित की नसबंदी की जाना आरोपित है, जबकि जिस व्यक्ति की नसबंदी की गयी है, वह विवाहित था। आरोप कमांक--02 मेडिकल स्टोर संचालित करने के संबंध में है, जिसमें डॉ. जैन द्वारा बताया गया कि स्थानीय औषधि निरीक्षक द्वारा जांच में बताया गया कि इनके द्वारा मेडिकल स्टोर संचालित करने संबंधी कोई दस्तावेज नहीं है। इसी प्रकार आरोप कमांक--03 फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के संबंध में है, जिसका कोई प्रमाण नहीं मिला है।

5/— अतः उपरोक्तानुसार उल्लेखित तथ्यात्मक वस्तुस्थिति के परिप्रेक्ष्य डॉ. सुभाष जैन के उक्त पुनर्विलोकन अपीलीय अभ्यावेदन के गुण--दोषों के आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम—29 के अंतर्गत परीक्षणोपरांत, राज्य शासन एतदद्वारा प्रकरण के समग्र तथ्यों पर पूर्ण विचारोपरांत राजभवन सचिवालय से प्राप्त उपरोक्त पुनर्विलोकन अपीलीय अभ्यावेदन दिनांक 06.12.2021 को ग्राह्य करते हुए, आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के डॉ. जैन की दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने संबंधी लघुशास्ति दण्डादेश दिनांक 18.11.2019 को निरस्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सीमा डहेरिया)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्र0/497/3760/2019/सत्रह/मेडि—1 भोपाल, दिनांक 11/03/2022

प्रतिलिपि :—

1— अपर मुख्य सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2— आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3— आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद (म.प्र.)।
4— उप संचालक (विज्ञप्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, म.प्र. भोपाल की ओर उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, जिला हरदा।
6— डॉ सुभाष जैन, चिकित्सा अधिकारी, जिला—हरदा।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

7— आदेश नस्ती।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
D.D. (विज्ञप्ति)
14 MAR 2022
733